संख्या-62/2017/920/26-3-2017-100(115)/99

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 26 अप्रैल, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 05 माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) हेतु स्वीकृत लेखा अनुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-05/140/ज.जा.वि/लेखा/2017-18, दिनांक-10.04.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.03.2017 उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 में लेखाशीर्षक-"2225-02-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" एवं लेखाशीर्षक-"4225-02-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष स्वीकृत लेखानुदान के अन्तर्गत प्रथम 05 माह (माह अप्रैल से माह अगस्त 2017 तक के लिये) हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार कुल रूपया-864.43 लाख (रूपया आठ करोड़ चौसठ लाख तैतालिस हजार मात्र) धनराशि की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार यथासमय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2)- उक्त मदों पर होने वाला व्यय शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उपर्युक्त अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

(3)- उपर्युक्त धनराशियां व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुवल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(4)- धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5)- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02.01.2017 तथा शासनादेश संख्या-03/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.03.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ0संख्या-62/2017/920(1)/26-3-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
5-वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-2/2017/920/26-3-2017-100(115)/99, दिनांक-.....का संलग्नक

अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण (जनजाति कल्याण)

मुख्य लेखाशीर्षक/लघुशीर्षक योजना का नाम	आय-व्ययक प्राविधान वर्ष 2017-18	(रूपया लाख में) प्रथम 05 माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक के के लिये) स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1-राजस्व व्यय-		
मुख्य लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-		
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-		
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
01-केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं		
0101-दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (के0100/रा.00-के.)		
21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	400.00	0.00
0102-जनजाति विकास पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति (के0100/रा.00-के.)		
21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	1.00	0
0103-अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के लिए मेरिट उच्चीकृत योजना (के0100/रा.00-के.)		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2.34	0
0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान (के0100/रा.00-के.)		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	250.00	0.00
42-अन्य व्यय	52.30	0.00
योग 0104 :-	**302.30**	**0.00**
0105-पाकेट प्लान तथा प्रीमिटिव ग्रुप्स के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन हेतु अनुदान (के0100/रा.00-के.)		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	94.34	0.00
0106-बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना नजीबाबाद बिजनौर को अनुदान (100: **केन्द्र पुरोनिधारित)**		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	13.20	0.00
0107-बिखरी आबादी वाली अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (100: **केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)**		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	90.00	0.00
0109-अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम(कक्षा-9 व 10) छात्रवृत्ति योजना (के0100/रा.00-के.)		
21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	85.00	0.00
0110-वन बन्धु कल्याण योजना (के0100/रा.00-के.)		
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	95.00	0.00
योग 01 :-	**1083.18**	**0.00**
मुख्य लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-		
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-		
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
03-मुख्यालय अधिष्ठान		
01-वेतन	156.41	65.17
03-महंगाई भत्ता	7.82	3.26
04-यात्रा व्यय	0.70	0.29
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.21
06-अन्य भत्ते	8.43	3.51
07-मानदेय	0.10	0.04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

08–कार्यालय व्यय	1.20	0.5
09–विद्युत देय	0.40	0.16
10–जलकर/जल प्रभार	0.10	0
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.10	0.46
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	1.35	0.56
13–टेलीफोन पर व्यय	1.00	0.42
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों का क्रय	0.00	0
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	6.00	2.25
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50	0.2
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.00	0
18–प्रकाशन	1.00	0.42
42–अन्य व्यय	0.00	0
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.12
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.10
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.80	0.33
47–कॅम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50	0.63
49–चिकित्सा व्यय	1.00	0.42
51–वर्दी व्यय	0.10	0
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	9.43	0
योग–03	**199.99**	**79.05**
04– एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन		
26–मशीने ओर सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.50	0.20
39–औषधि तथा रसायन	2.25	0.95
42–अन्य व्यय	0.50	0.20
योग 04 :–	**3.25**	**1.35**
05–एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का कियान्वयन		
01–वेतन	14.96	6.23
03–मंहगाई भत्ता	0.75	0.31
04–यात्रा व्यय	0.10	0.04
06–अन्य भत्ते	0.80	0.33
08–कार्यालय व्यय	0.10	0.04
09–विद्युत देय	0.10	0.04
10–जलकर/जलप्रभार	0.05	0.02
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.20	0.08
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रेल आदि की खरीद	0.10	0.04
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.10	0.04
18–प्रकाशन	0.10	0.04
19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	0.05	0.02
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	39.70	15.71
42–अन्य व्यय	0.07	0.03
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	0.10	0.04
47–कॅम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.30	0.12
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.90	0.00
योग 05 :–	**58.48**	**23.13**
06–जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठन		
01–वेतन	21.69	9.04
03–मंहगाई भत्ता	1.08	0.45
04–यात्रा व्यय	0.15	0.06
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.15	0.06
06–अन्य भत्ते	1.16	0.48
08–कार्यालय व्यय	0.35	0.15
09–विद्युत देय	0.40	0.16
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.30	0.12
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	0.20	0.08

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.20	0.08
18–प्रकाशन	0.70	0.30
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.10
49–चिकित्सा व्यय	0.30	0.12
51–वर्दी व्यय	0.05	0.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1.31	0.00
योग 06 :–	**28.29**	**11.20**
07–प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी जनजाति जो इस समय अनु0 जातियों की सूची में शामिल है के लिए अनुदान		
01–कृषि/बागवानी हेतु अनुदान		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5.00	0
02–कुटीर उद्योग हेतु अनुदान		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	5.00	0
योग 07 :–	**10.00**	**0**
08–अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास		
01–वेतन	15.39	6.41
02–मजदूरी	1.50	0.63
03–मंहगाई भत्ता	0.77	0.32
04–यात्रा व्यय	0.10	0.04
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10	0.04
06–अन्य भत्ते	0.82	0.34
08–कार्यालय व्यय	0.20	0.08
09–विद्युत देय	0.50	0.20
10–जलकर/जल प्रभार	0.05	0.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.20	0.08
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	0.35	0.15
26–मशीने ओर सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.50	0.21
29–अनुरक्षण	0.70	0.29
41–भोजन व्यय	1.00	0.42
42–अन्य व्यय	0.05	0.02
43–सामग्री और सम्पूर्ति	0.65	0.27
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.00
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.00
49–चिकित्सा व्यय	0.20	0.08
51–वर्दी व्यय	0.05	0.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.93	0.00
योग–08	**24.21**	**9.58**
09–अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा रख–रखाव		
01–वेतन	393.34	163.90
02–मजदूरी	7.50	3.13
03–मंहगाई भत्ता	19.67	8.2
04–यात्रा व्यय	1.60	0.67
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.35	0
06–अन्य भत्ते	21.21	8.84
08–कार्यालय व्यय	1.40	0.58
09–विद्युत देय	4.00	1.67
10–जलकर/जल प्रभार	0.50	0.21
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.40	0.58
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	1.10	0.46
13–टेलीफोन पर व्यय	1.25	0.52
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए व्यय	219.70	91.54
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3.00	1.25
29–अनुरक्षण	3.50	1.46
39–औषधि तथा रसायन	1.50	0.63

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सामग्री		
41–भोजन व्यय	1.50	0.63
42–अन्य व्यय	443.25	148.68
43–सामग्री और सम्पूर्ति	0.00	0
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक भुगतान	108.00	45
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0
49–चिकित्सा व्यय	0.30	0
51–वर्दी व्यय	1.30	0.54
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.15	0
योग 09 :–	23.72	0
10–अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	**1259.54**	**478.49**
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)		
योग 10:–	5.00	2.00
11–अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता	**5.00**	**2.00**
1101–कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता		
21–छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	110.00	
1102–कक्षा 6 से 8 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता		
21–छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	0	0
1103–कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता		
21–छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	0	0
योग 11 :–	**110.00**	**0.00**
12–अनु0जनजाति की छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं वाइसिकिल हेतु अनुदान		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	80.00	34.00
13–दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति		
21–छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन	500.00	0.00
14–अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विस्तार		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	41.57	17.32
15–अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	13.05	5.44
12+13+14+15 का योग	**634.62**	**56.76**
16–अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक से संस्थाओं को अनुदान		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.00	0
17–जनजाति उपयोजना		
1701–एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	3.30	1.38
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	145.61	60.67
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	8.03	0
योग 1701 :–	**156.94**	**62.05**
02–जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम थारू विकास परियोजना बलरामपुर		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	3.00	1.25
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	116.98	48.74
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	6.45	0
योग 02 :–	**126.43**	**49.99**
3–अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1.50	0.63
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	17.99	7.05
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.99	0
योग 03 :–	**20.48**	**7.68**
04–बिखरी आवादी वाले जनजातियों का विकास		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1.35	0.56

sanction-2016-17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	26.30	10.96
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	1.45	0
योग 04 :–	29.10	11.52
योग 17 :–	332.95	131.24
18–अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार की बालिकाओं के विवाह हेतु अनुदान		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	130.00	54.17
योग :– राजस्व व्यय 2225	4181.81	846.97
2–पूँजीगत व्यय		
मुख्य लेखाशीर्षक–4225– अनुसूचित जातियों / जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें		
0101–अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण (के. 50: / रा.50:–के.रा.)		
24– वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00
0102–अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण (के. 50: / रा.50:–के.रा.)		
24– वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00
0103–अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण (के050 / रा50–के. रा.)		
24– वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00
0104–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाईयों के संचालन हेतु अनुदान (के.100: / रा.0.)		
24– वृहत निर्माण कार्य	1335.60	0.00
0105–अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (के0100प्रति0रा0)		
24– वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00
0107–नक्शल प्रभावित जनपदों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण (के0 100 प्रति0रा0–0)		
24– वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00
0108–जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत निर्माण कार्य (के0 100 / रा0–के0)		
24–वृहत निर्माण कार्य	697.72	0.00
0109–वन बन्धु कल्याण योजना (के0100 / रा.00–के.)		
24–वृहत निर्माण कार्य	105.00	0.00
योग : 01:–	2138.32	0.00
04–अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधूरे भवनों का निर्माण (के.00: / रा.100 प्रतिशत)		
24–वृहत निर्माण कार्य	180.00	0.00
05–अनुसूचित जनजातियों के बालक / बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण (के.: / रा.100 प्रतिशत.)		
24–वृहत निर्माण कार्य	29.19	0.00
06–अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (के.0: / रा.100 प्रतिशत.)		
25–लघु निर्माण	4.40	1.83
26–मशीने और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	37.50	15.63
योग, 06	41.90	17.46
योग : पूँजीगत व्यय (4225)	2389.41	17.46
कुल योगः (राजस्व व्यय 2225+पूँजीगत व्यय 4225)–	6571.22	864.43

(रूपया–आठ करोड़ चौसठ लाख तैतालिस हजार मात्र)

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।